क्षतिपूर्ति का अनुबंध

क्षतिपूर्ति का यह विलेख..... .... के द्वारा बनाया गया। बनाने का दिन..... श्री/श्रीमती/किमी..... द्वारा .....रहने वाले पर..... ....(एतदद्वारा अनुशंसित के रूप में "प्रशिक्षु जिसके अभिव्यक्ति शेल में उसका / उसका उत्तराधिकारी शामिल है।" वारिस निष्पादक, प्रशासक और प्रतिनिधि जहां प्रतियोगिता ऐसा स्वीकार करती है) और श्री..... .....पुत्र/पुत्री..... .... निवासी.....

(इसके बाद इसे "ज़मानत" के रूप में संदर्भित किया गया है जिसमें अभिव्यक्तियों में उसके उत्तराधिकारी, निष्पादक शामिल होंगे, प्रशासक और प्रतिनिधि जहां प्रतियोगिता ऐसा स्वीकार करती है।) एनओई भाग (NOE PART) और भारत के राष्ट्रपति , उत्तर मध्य रेलवे के प्रशासक ने और सरकार ने प्रशिक्षु को और ज्वाइनिंग रिपोर्ट दिनांकित में उल्लिखित शर्तों पर नियुक्त किया है।

प्रशिक्षु और सरकार द्वारा और उसके बीच निष्पादित –

और जबकि प्रशिक्षु की उक्त नियुक्ति के नियमों और शर्तों में से एक यह है कि प्रशिक्षु निर्धारित प्रशिक्षण पूरा करेगा और इस तरह के पूरा होने के बाद सेवा स्वीकार करेगा। सरकार और सरकार की सेवा कम से कम पांच साल की अवधि के लिए और प्रशिक्षण की अवधि के दौरान या उसके बाद की लिखित सहमति के बिना सेवा से इस्तीफा देने की सेवा विलेख में उल्लिखित किसी भी अपराध के कदाचार पर सरकार या वहां से छुट्टी दे दी जाती है, प्रशिक्षु सरकार द्वारा मांग पर प्रशिक्षण की पूरी लागत या किसी अन्य राशि का उन के तहत सरकार से प्रशिक्षु द्वारा यात्रा भत्ता और रनिंग भत्ते को छोड़कर नियम और शर्तों के अनुसार भुगतान करेगा।
और जबकि प्रतिभू ने सरकार को उस सीमा तक क्षतिपूर्ति और/या प्रतिपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की है। प्रस्तुत गवाहों और इसके द्वारा पार्टियों द्वारा और उनके बीच निम्न प्रकार सहमति व्यक्त की जाती है-

1. कि वादों पर विचार करने और सरकार के विचारणीय होने पर शामिल करने के लिए सहमत होने के विचार में ऊपर उल्लिखित जॉइनिंग रिपोर्ट में उल्लिखित पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षु प्रशिक्षण को संतोषजनक ढंग से पूरा करने पर, कम से कम 5 वर्ष की अवधि के लिए सरकार की सेवा करेगा। उसके बाद प्रशिक्षु और सरकार के बीच निष्पादित उक्त ज्वाइनिंग रिपोर्ट के अनुसार प्रति सरकार की पूर्ण संतुष्टि होने पर सरकार का निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा।
2. कि प्रशिक्षु और जमानतदार एतद्वारा संयुक्त रूप से और अलग-अलग सरकार उस सीमा तक क्षतिपूर्ति और किए गए वादे से पीछे हटने पर होने वाली प्रक्रिया के अनुगमन का वचन देते हैं जैसा कि ऊपर कहा गया है।
3. कि प्रशिक्षु को उसके प्रशिक्षण की प्रगति के संबंध में प्रतिकूल रिपोर्ट मिलने की स्थिति में, पढ़ाई या आचरण या अपनी पढ़ाई बंद करने या पाठ्यक्रम में सम्मिलित होने से मना करने पर या सेवा में जारी नहीं रहता है तो किसी भी कारण से प्रशिक्षु के नियंत्रण से बाहर नहीं है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है इस स्थिति में प्रशिक्षु और ज़मानत संयुक्त रूप से और अलग से भुगतान करने और वापस करने के लिए उत्तरदायी होंगे। सरकार से मांग पर और बिना देर किए नकद में प्रशिक्षु पर या उसके पर खर्च किए गए सभी खर्चे ऊपर बताए अनुसार उसके प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के संबंध में (और सरकार के निर्णय के संबंध में) इस प्रकार देय राशि उस दर पर गणना किए गए उक्त मोरों पर ब्याज के साथ अंतिम होगी सरकार के लिए लागू ऋण।
4. इसके तहत जमानतदार का दायित्व निर्धारित समय पर बिगड़ा या निर्वहन नहीं किया जाता है तो सरकार द्वारा अधिकृत किसी भी व्यक्ति के सरकार के प्रतिद्वंद्विता अधिनियम के अंतर्गत दिया गया या कोई भी । (जहाँ कि ज़मानत की जानकारी या सहमति के साथ या उसके बिना भी), या सरकार के लिए यह आवश्यक होगा तो देय राशि के लिए पहले प्रशिक्षु फिर ज़मानतदार से वसूल करने अधिकार है।
5. कि अगर किसी प्रकार का प्रभाव या समानार्थी कार्य के बारे में कोई विवाद है या अन्यथा, सिवाय उन मामलों के संबंध में जिनके लिए इन प्रभावों के लिए विशिष्ट प्रावधान किया गया है, तो ऐसी स्थिति में वही होगा जो सरकार के एकमात्र मध्यस्थता के लिए नियुक्त सचिव या रेल मंत्रालय द्वारा नियुक्त कोई भी व्यक्ति के पास भेजा जाएगा जिसका निर्णय अंतिम होगा। यहाँ समय-समय पर संशोधित भारतीय मध्यस्थता अधिनियम 1940 लागू होगा।

पार्टी ने साक्षी के रूप में पहले दिन और पहले वर्ष पर जिन्हें उपरोक्त उल्लिखित किया है, उनका नाम व पता प्रशिक्षु की उपस्थिति में ऊपर उल्लिखित प्रशिक्षु द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए।

....

(प्रशिक्षु के हस्ताक्षर)

गवाह का नाम, पता, पद और कार्य स्थल

1. .....

....

.....

(गवाह के हस्ताक्षर)

2. ....

....

(गवाह के हस्ताक्षर)

प्रतिभू (surety) के हस्ताक्षर जिनकी उपस्थिति में नामित जमानतदार द्वारा हस्ताक्षरित
गवाह का नाम, पता, पद और कार्य स्थल आदि प्रस्तुत किए गए।

....

(प्रतिभू के हस्ताक्षर)

गवाह का नाम, पता, पद और कार्य स्थल
(जमानतदार के हस्ताक्षर)

1. ....

(गवाह के हस्ताक्षर)

2 ....

(गवाह के हस्ताक्षर)

<u>केवल कार्यालय के उपयोग के लिए</u>

पदनाम .... भारत के राष्ट्रपति की ओर से उपस्थित हुए अधिकारी के समक्ष :-

गवाह का नाम और पदनाम

1..... ....

(गवाह के हस्ताक्षर)

2..... ....

(गवाह के हस्ताक्षर)